

प्रमुख,

संयुक्त शिक्षा निदेशक  
श्रींसी मण्डल झॉंसी।

सेवा में,

सचिव,  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, शिक्षा केन्द्र-2, सनुदाय केन्द्र,  
प्रोति विहार, नई दिल्ली।

पत्रांक/एमओसीओ/ 1651-58 /2012-13 दिनांक- 22-6-12

विषय-एमओसीओकान्वेट, उरई रोड, भिदारा, जालौन को सीओसीओईओ बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए सूच्य है कि उत्तर प्रदेश शासन के आदेश सं० 1916/15-7-09-1(289)/2007 दिनांक-14.07.2009 द्वारा प्रदेश विद्यत सीओसीओईओ तथा आर्ट्सओसीओईओ बोर्ड द्वारा संघटित किए जाने के पूर्व संस्थाओं को अनापत्ति प्रमाण पत्र राज्य सरकार के स्थान पर सम्बन्धित मण्डल के मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा दिये जाने का प्रावधान किया गया है। उक्त शासनादेश के अनुपालन में जनपद, जालौन में विद्यत संस्था एमओसीओकान्वेट, उरई रोड, भिदारा, जालौन के आवेदन पत्र पर मण्डल स्तर पर गठित समिति द्वारा विचार किया गया। समिति द्वारा जांचोपरांत एमओसीओ कान्वेट, उरई रोड, भिदारा, जालौन को सीओसीओईओ बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया।

अतः एमओसीओ कान्वेट, उरई रोड, भिदारा, जालौन को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में समिति की आपत्ति नहीं है।

1. विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समस्त सम्बन्ध नवीनीकरण कराया जायेगा।
2. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के निधायी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे, और उनमें से 50% माध्यमिक शिक्षा परिषद/बैथिक शिक्षा परिषद द्वारा संघटित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मायता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्ड्री एजुकेशन, नई दिल्ली/कॉरिडोर फॉर दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट एजुकेशन बोर्ड, नई दिल्ली से प्राप्त होगी है, तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मायता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी।
5. संस्था के शैक्षिक एवं शिद्धान्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य देतनामानी तथा अन्य भत्तों में कम देतनामानी तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेगे।
6. कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्ति अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों के अनुमन्य सेवा नियुक्ति लाभ उपलब्ध कराये जायेगे।

कमस-02 पर

(02)

7. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निगत किए जायेगे संस्था उनका पालन करेगी।
8. विद्यालय का रिकार्ड/निर्धारित प्रपत्र/पंजीकृतों में रखा जायेगा।
9. उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करता संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय पर यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है, अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है तो उक्त प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

(सम्बन्धित टाकुर)

आयुक्त,

श्रींसी मण्डल झॉंसी।


तददिनांक-


प्राप्तकन सं०/एमओसीओ/ 1651-58 /2012-13

प्रतिनिधि-निम्नलिखित को सूचनाय एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उओप्रओ, शासन, लखनऊ।
2. वैयक्तिक सहायक, आयुक्त, श्रींसी मण्डल झॉंसी।
3. जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई।
4. शिक्षा निदेशक (मओ) उओप्रओ, लखनऊ।
5. जिला विद्यालय निरीक्षक, जालौन स्थान उरई।
6. निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, उओप्रओ, लखनऊ।
7. प्रबन्धक, एमओसीओकान्वेट, उरई रोड, भिदारा, जालौन।

संयुक्त शिक्षा निदेशक,  
श्रींसी मण्डल झॉंसी।

  
Manager  
M.B. Convent School  
Oral Road Bhitara. Jalaun [U.P.]

  
Principal  
M.L. Convent School  
Bhitara (Jalaun)